

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/150/2017

अपीलार्थी:-

कैप्टन राजपाल सिंह तंवर  
म0न0सी-166 मानसरोवर कॉलोनी  
काला कुआ हाउसिंग बोर्ड, अलवर  
जिला अलवर।

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति  
जिला कलेक्टर (शहर) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 12-12-2017

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 26.09.2017 के माध्यम से पूर्व में जिला कलेक्टर महोदय अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.17 के संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 27.11.17 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का कोई जवाब नहीं भिजवाया जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वाँछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। साथ ही प्रकरण में अपील दायर होने के बाद भी प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावे। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि, यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवावे। सम्बन्धित से सूचना उपलब्ध करने में हुए विलम्ब का भी स्पष्ट कारण लिया जावे। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है।
6. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे, एवम् प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पारित निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावे साथ ही पालना में की गयी कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे।
7. निर्णय आज दिनांक 12.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दाखल हो।



*(Signature)*  
12/12/17  
(राजना विशाल -)  
जिला कलेक्टर  
अलवर (राजो)